भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †3869
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

†3869. श्री हरीभाई पटेलः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का राज्य-वार, विशेष रूप से गुजरात में क्या योगदान रहा है:

(ख) चालू वर्ष में आरजीएसए के अंतर्गत कौन-सी पहलों से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण में सहायता मिली है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर आरजीएसए ने किस प्रकार शासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को राज्य-वार बढ़ाया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण में सुधार लाने में आरजीएसए के कार्यान्वयन का राज्य-वार क्या प्रभाव रहा है; और

(ङ) विगत वर्ष के दौरान ग्रामीण शासन में महिलाओं और बंचित समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने मेंआरजीएसए के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ङ) मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से गुजरात सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्वकी भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। प्रशिक्षण के अलावा, आरजीएसए के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने और मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सह-स्थापन जैसी पंचायत अवसंरचना सृजित करने में भी सहायता प्रदान करता है।आरजीएसए गुजरात सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों मेंलागू की जा रही है।

आरजीएसए योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 35,54,942 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें 19,86,912 महिलाएँ शामिल थीं। गुजरात के 90,368 प्रतिभागियों को, जिनमें महिलाएँ और वंचित समुदायों के सदस्य शामिल थे, प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग मैनेजमेंट

पोर्टल (टीएमपी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरजीएसए के तहत राज्यवार प्रशिक्षित प्रतिभागी **अनुलग्नक –I** में हैं।
आरजीएसए के अंतर्गत सीमित संसाधनों के साथ मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण हेतु संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान, उन ग्राम पंचायतों पर विशेष प्रयास किए गए जिनकी अपनी इमारत है, और विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 22,164 कंप्यूटरों की स्वीकृति दी गई, जो पहले से योजना के अंतर्गत स्वीकृत 30,398 कंप्यूटरों के अतिरिक्त हैं, जिनमें गुजरात भी शामिल है। योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार स्वीकृत कंप्यूटरों का विवरण, गुजरात सहित, **अनुलग्नक –II** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7,730 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसमें गुजरात में 412 पंचायत भवन शामिल हैं। योजना के तहत मंजूर किए गए पंचायत भवनों के निर्माण का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक –III** में संलग्न है**।**इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 10,345 सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह-स्थापन को मंजूरी दी गई, जिनमें से 412 गुजरात में हैं।

(ख) संशोधित आरजीएसए योजना के तहत, मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों जैसे बुनियादी प्रबोधन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना (पीडीपी) प्रशिक्षण आदि में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, मंत्रालय एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री को तैयार करने आदि के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम और आईआरएमए जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है।

(ग) और (घ) आरजीएसए योजना के अंतर्गत, राज्यों की पंचायतों में सेवा प्रदायगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहले की गई हैं। इनमें शासन और सार्वजनिक सेवा के लिए एक कार्यात्मक स्थान प्रदान करने हेतु, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए, आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ई-पंचायत एमएमपी के एक भाग के रूप में विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल नियोजन, लेखांकन , निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध निधि प्रवाह सुनिश्चित होता है और देरी में कमी आती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर में कुल 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। 15वें वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज को अपनाने की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक -IV** में दी गई है।

मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ भी एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म में जेम (GeM) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुंच को सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अलावा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ग्राम पंचायत भवनों में सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की सह-स्थापना में राज्यों को सहायता दे रहा है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयके समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की सह-स्थापना के माध्यम से, ग्रामीण नागरिकों को उनके घर (डोरस्टेप) पर ही ई-गवर्नेंस सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए पंचायतों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है।

अनुलग्नक-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3869, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

आरजीएसए, 2024-25 के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रतिभागी

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,221
2	आंध्र प्रदेश	3,25,643
3	अरुणाचल प्रदेश	12,344
4	असम	1,44,936
5	बिहार	4,35,896
6	छत्तीसगढ़	90,559
7	दादरा और नगर हवेली	1,073
8	दमन और दीव	
9	गोवा	4,519
10	गुजरात	90,368
11	हरियाणा	11,909
12	हिमाचल प्रदेश	1,20,455
13	जम्मू और कश्मीर	82,534
14	झारखंड	1,35,817
15	कर्नाटक	3,21,380
16	केरल	1,29,632
17	लद्दाख	26
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	2,42,279
20	महाराष्ट्र	3,63,111
21	मणिपुर	195
22	मेघालय	78,537
23	मिज़ोरम	9,841
24	नागालैंड	4,725
25	ओडिशा	2,79,505
26	पुडुचेरी	0
27	पंजाब	1,22,848
28	राजस्थान	71,795
29	सिक्किम	6,709
30	तमिलनाडु	78,490
31	तेलंगाना	1,701
32	त्रिपुरा	54,228
33	उत्तराखंड	22,342
34	उत्तर प्रदेश	76,302
35	पश्चिम बंगाल	2,28,081
—	एनआईडीपीआर और अन्य	1,941
कुल	**—**	**35,54,942**

अनुलग्नक-II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3869, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

संशोधित आरजीएसए के तहत स्वीकृत कंप्यूटरों की स्थिति

क्रंसं	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	स्वीकृतकंप्यूटरोंकीसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	1922
2	अरुणाचल प्रदेश	1936
3	असम	2055
4	बिहार	4267
5	छत्तीसगढ	6496
6	गोवा	0
7	गुजरात	43
8	हरियाणा	1363
9	हिमाचल प्रदेश	334
10	जम्मू और कश्मीर	1318
11	झारखंड	2306
12	कर्नाटक	0
13	केरल	200
14	मध्यप्रदेश	289
15	महाराष्ट्र	1625
16	मणिपुर	141
17	मेघालय	1677
18	मिजोरम	591
19	नगालैंड	739
20	ओडिशा	350
21	पंजाब	8334
22	राजस्थान	1554
23	सिक्किम	235
24	तमिलनाडु	1594
25	तेलंगाना	3452
26	त्रिपुरा	493
27	उत्तर प्रदेश	3145
28	उत्तराखंड	4260
29	पश्चिम बंगाल	1712
30	अंडमान और निकोबार	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	4
32	लक्षद्वीप	0
33	लद्दाख	127
34	पुद्दुचेरी	0
कुल		52562

अनुलग्नक-III

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3869, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत पंचायत भवनों का विवरण

क्रम सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**स्वीकृत पंचायत भवन**
1	आंध्र प्रदेश	617
2	अरुणाचल प्रदेश	661
3	असम	349
4	बिहार	136
5	छत्तीसगढ़	210
6	गोवा	0
7	गुजरात	412
8	हरियाणा	509
9	हिमाचल प्रदेश	119
10	जम्मू और कश्मीर	970
11	झारखंड	0
12	कर्नाटक	258
13	केरल	0
14	मध्य प्रदेश	50
15	महाराष्ट्र	961
16	मणिपुर	27
17	मेघालय	24
18	मिज़ोरम	335
19	नागालैंड	183
20	ओडिशा	0
21	पंजाब	500
22	राजस्थान	10
23	सिक्किम	19
24	तमिलनाडु	146
25	तेलंगाना	286
26	त्रिपुरा	14
27	उत्तर प्रदेश	126
28	उत्तराखंड	684
29	पश्चिम बंगाल	117
	केंद्र शासित प्रदेश	
30	अंडमान एवं निकोबार	0
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4
32	लक्षद्वीप	0
33	लद्दाख	3
34	पुडुचेरी	0
कुल		7730

अनुलग्नक-IV

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3869, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

ई-ग्रामस्वराज - राज्यवार उपयोग (2024-25)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष* की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष* की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13320	13002	660	660	645	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	426	0	0	0	27	26	11
3	असम	2662	2197	2183	191	191	191	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8046	534	534	531	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11701	11684	11540	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	97	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14645	14006	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6226	5980	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3557	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4335	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5942	238	232	127	31	31	29

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष* की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष* की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22987	313	313	311	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27955	27940	27025	351	351	312	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	125	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1289	977	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6794	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13234	10240	153	151	123	23	22	19
21	राजस्थान	11222	11219	10905	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12520	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12648	572	540	514	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1194	1175	75	75	75	9	9	9

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष* की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष* की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
26	उत्तराखंड	7795	7795	7757	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57638	826	826	819	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3339	345	345	345	22	21	21
कुल		**264494**	**252969**	**244235**	**8691**	**6402**	**6165**	**659**	**649**	**616**

*पोर्टल पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

***